न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.—.....159....... / 2024

बाबुलाल पुत्र औंकारमल जाति स्वामी निवासी कस्बा तारानगर जिला चूरू।

— प्रार्थी —

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 02.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई के खसरा सं. 151 तादादी 4.6534 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम औंकारदास अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम औंकारमल सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम औंकारमल है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपने पिता नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई के खसरा सं. 151 तादादी 4.6534 हेक्ट. में प्रार्थी के पिता का नाम औंकारमल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपने पिता का नाम औंकारदास की जगह औंकारमल करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम औंकारदास ही दर्ज है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम औंकारदास की जगह औंकारमल दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से प्रार्थी के पिता का दस्तावेजीय नाम औंकारमल पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया पट्टा चंगोई के खसरा सं. 151 तादादी 4.6534 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी के पिता का नाम **औंकारदास** Delete कर इसके स्थान पर **औंकारमल** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)